प्रेस विज्ञप्ति
03/01/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने आम्रपाली समूह के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 99.26 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मेसर्स मौरिया उद्योग लिमिटेड का कार्यालय और फैक्ट्री की ज़मीन व भवन शामिल है, जो सुरेका समूह की एक कंपनी है, जिसके प्रमोटर नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका हैं, जिसकी 30.12.2016 तक कुल फेयर मार्केट वैल्यू 99.26 करोड़ रुपये है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर और ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस के आधार पर जांच शुरू की, और साथ ही 23.07.2019 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य मामले में, परेशान घर खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिए गए आदेश के अनुसार भी जांच शुरू की। आरोप थे कि आम्रपाली समूह ने घर खरीदारों से बड़ी रकम इकट्ठा की, तय समय में फ्लैट्स का कब्ज़ा देने में नाकाम रहा, और फर्जी लेनदेन, जालसाजी और धोखाधड़ी वाली आपराधिक साज़िश रचकर घर खरीदारों के धन को धोखे से विपथित किया तथा उसका गलत इस्तेमाल किया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, उनके साथियों और प्रमोटरों- अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया तथा अजय कुमार, जो आम्रपाली समूह के निदेशक हैं- ने मेसर्स मौरिया उद्योग लिमिटेड और मेसर्स जोतिंद्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड के निदेशक नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका के साथ मिलकर टीएमटी बार और निर्माण सामग्री खरीदने की आड़ में फर्जी और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के ज़रिए घर खरीदारों के धन को विपथित किया। इन पैसों को शेल कंपनियों और फर्जी सप्लायरों के एक जटिल जाल के ज़रिए घुमाया गया, बड़ी मात्रा में नकद में निकाला गया और इस तरह खर्च कर दिया गया कि उन्हें वापस न पाया जा सके, जिससे अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई और उसे शोधित किया गया।

यह साबित हो गया है कि 110.39 करोड़ रुपये की रकम मेसर्स मौरिया उद्योग लिमिटेड को ट्रांसफर की गई थी, जो आम्रपाली के घर खरीदारों से इकट्ठा किए गए पैसे से मिले पीओसी का हिस्सा था। चूंकि वास्तविक पीओसी समाप्त हो गई थी तथा अब सीधे कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत "उनकी कीमत" के सिद्धांत के आधार पर बताई गई अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, ताकि पीओसी को सुरक्षित किया जा सके।

इससे पहले, ईडी ने आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार; आम्रपाली समूह के स्टेट्यूटरी ऑडिटर अनिल मित्तल; और आम्रपाली समूह के सीएफओ चंदर प्रकाश वधवा को गिरफ्तार किया था। अब तक, ईडी ने इस मामले में छह अभियोजन शिकायतें दायर की हैं, जिसमें 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अब पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत कुल छह अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिसमें मौजूदा आदेश भी शामिल है, और 303.08 करोड़ रुपये की कुल कीमत वाली संपत्तियाँ कुर्क की हैं।

आगे की जांच जारी है।